अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(विद्युत भवन,पंचशील नगर, अजमेर)

क्रमांकः–अविविनिलि / मु.ले.अ. (A&R) / राजस्व / पत्रांक/ प्रे 4488 दि. 27.2.2017

आदेश

माह जनवरी, 2017 तक की राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान वसूली दक्षता संतोषजनक एवम् लक्ष्यों के अनुरूप नहीं पायी गई जो कि अत्यन्त चिन्तनीय है। वित्तीय वर्ष 2016–17 शीघ्र ही समाप्ति की ओर अग्रसर है और मात्र 1 माह अब शेष है। अतः समस्त प्रयास करते हुए इस वर्ष की राजस्व वसूली शत–प्रतिशत से अधिक रहनी चाहिए ताकि निगम की उपलब्धियाँ उच्च स्तर पर दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप होने की स्थिति से अवगत करवाया जा सकें।

राजस्व वसूली निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। इसी क्रम में अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता हेतु भी हाल ही में निम्न उपाय किये गये हैः–

अ. बिलिंग एवम् राजस्व संग्रहण सम्बन्धी कार्यो की सतत् एवम् प्रभावी निगरानी हेतु वृत्त स्तर पर सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) की नियुक्ति की गई है।

ब. सभी श्रेणियों के विद्युत संबंध विच्छेदित उपभोक्ताओं एवम् साथ ही घरेलू तथा कृषि के चालू कनेक्शनों हेतु एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है जिसे मार्च, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।

स. सभी उपखण्डों में 100 प्रतिशत राजस्व संग्रहण दक्षता सुनिश्चित करने हेतु सभी वृत्त अधीक्षण अभियन्ताओं की अतिरिक्त वाहन किराये पर लेने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त प्रयासों के सन्दर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि मार्च, 2017 तक सभी सम्भव प्रयास कर एवम् निम्न बिन्दुओं की अनुपालना कर राजस्व वसूली दक्षता 100 प्रतिशत स्तर पर लाना सुनिश्चित करें :–

1. माह मार्च, 2017 के बिल 15 मार्च या इससे पूर्व जारी कर दिये जाएं एवम् भुगतान में दोषी पाये जाने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी कर भुगतान प्राप्ति के प्रभावी प्रयास किए जाएं।
2. संबंधित सहायक राजस्व अधिकारी व सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) की बिल मुद्रण एजेन्सी से सभी दोषी उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद नोटिस/ आदेश का शीघ्रता से मुद्रण करवाने की जिम्मेदारी होगी एवम् उनको अनुपालना हेतु संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को त्वरित प्रेषण सुनिश्चित किया जावें।
3. विद्युत संबंध विच्छेद आदेंशों के अनुपालना की सतत् एवम् प्रभावी निगरानी की जाए तथा सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) उपरोक्त आदेंशों की समुचित पालना न होने पर अपने अधीक्षण अभियन्ता की जानकारी में तुरन्त प्रभाव से लाये जावें।
4. विद्युत संबंध विच्छेदित उपभोक्ताओं के परिसर से मीटर एवम् सर्विस लाईन को नियमानुसार एवम् शीघ्रता से पृथक् किया जाए।

Scanned by CamScanner

SE (IT), AVVNL, AJMER
R. R. No 3820 Dt 01.03.17
SECTION..........

5. त्रुटिपूर्ण बिलिंग से संबंधित राशि उपभोक्ता खातों में अविलम्ब डेबिट या केडिट की जाएं।
6. विद्युत संबंध विच्छेदित उपभोक्ताओं से ली गयी सुरक्षा एवम् अग्रिम राशि का समायोजन, विद्युत बिलों की बकाया राशि के विरूद्ध शीघ्रता से किया जाए।
7. सरकारी विभागों की बकाया राशि के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के समकक्ष/उच्च अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क कर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए एवम् इस संबंध में वांछित सहयोग न मिलने की स्थिति में महत्वपूर्ण मामलों को निगम स्तर पर तत्परता से सूचित किया जाए।
8. हाल ही राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक विद्युत आपूर्ति लेने वाले सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं से विद्युत दरों में की गयी वृद्धि का भार वहन करने का निर्णय किया गया है। अतः सभी संबंधित अधिकारी कृषि उपभोक्ताओं से तदनुरूप की राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए तथा उपखण्ड अधिकारी/राजस्व अधिकारी उपभोक्ताओं से अधिक वसूली गई अन्तर की राशि को कम करते हुए जमा स्वीकार करने हेतु बिलों में आवश्यक संशोधन करें। उपखण्ड अधिकारी/राजस्व अधिकारी यह भी ध्यान रखेंगे कि टैरिफ के अन्तर की राशि को उपखण्ड स्तर पर केडिट नहीं किया जाए क्योंकि यह राशि एच.सी.एल.आई द्वारा राज्य स्तर पर ही केडिट की जाएगी।
9. राजस्व वसूली के लिए पर्याप्त संख्या में राजस्व एवम् तकनीकी कर्मियों की टोलियाँ गठित की जाकर उन्हें गाँवों एवम् मौहल्लो में भेजा जाए जो उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क कर स्थान विशेष पर बकाया राशि जमा करवाकर आवश्यक रसीद जारी करें तथा बकाया राशि जमा करवाने में विफल उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेदित करें।
10. माह मार्च, 2017 में उपखण्डों द्वारा विद्युत संबंध विच्छेद किये गये उपभोक्ताओं का सतर्कता शाखा द्वारा सतत् व प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सकें कि विद्युत बिल की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के प्रभावी विद्युत संबंध विच्छेद किये गये है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। माह मार्च, 2017 में आंतरिक अंकेक्षण शाखा द्वारा उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित उपखण्डों के सहायक राजस्व अधिकारी को सहयोग प्रदान किया जाए जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो।
11. दिनांक 5 अप्रैल, 2017 तक राजस्व संग्रहण केन्द्र एवम् उपखण्ड कार्यालय दिनांक 24 फरवरी, 2017 (महा शिवरात्री) व 13 मार्च, 2017 (धुलण्डी) को छोड़कर निरन्तर खुलेंगे जहाँ राजस्व संबंधी कार्य निर्बाध रूप से किया जाएगा।
12. यदि किन्हीं उपखण्डों में एक अतिरिक्त वाहन के अलावा भी अन्य अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता हो तो संबंधित अधीक्षण अभियन्ता ऐसे प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण कर अपनी तथ्यात्मक टिप्पणी एवम् अनुशंसा सहित प्रस्तावित अतिरिक्त वाहन से संभावित वसूली के साथ प्रबन्ध निदेशक को प्रेषित करेंगे ताकि उनको तत्सम्बन्धी अनुमति समयानुसार प्रदान की जा सकें।
13. 10,000 रूपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए किये गऐ प्रयासों के लिए संलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन सभी उपखण्डों से वृत्त लेखाधिकारी सूचना प्राप्त करें

Scanned by CamScanner

एवम् सारांशित सूचना मुख्य लेखाधिकारी (लेखा एवम् राजस्व) को ई मेल द्वारा revenue.section@rediffmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा भी समुचित कार्यवाही कर राजस्व संग्रहण वर्ष 2016–17 के लिए शत–प्रतिशत वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करें अन्यथा दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक
अजमेर डिस्कॉम, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:–

1. मुख्य अभियन्ता (अ.सं./उ.सं./झुं.सं.), अविविनिलि, अजमेर/उदयपुर/झुंझुनूं।
2. मुख्य लेखाधिकारी (A&R/ETB/W&M-IA), अविविनिलि, अजमेर/जयपुर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अ.सं./उ.सं./झुं.सं.), अविविनिलि, अजमेर/उदयपुर/झुंझुनूं।
4. अधीक्षण अभियन्ता (अ.श.वृ./अ.जि.वृ./पवस), अविविनिलि, ... उपर्युक्त परिपत्र को उनके अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ता, सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) एवम् सहायक अभियन्ता को जानकारी में लाना सुनिश्चित करें।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अविविनिलि, अजमेर।
6. प्रावैधिक सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान डिस्कॉम्स, जयपुर।
7. प्रावैधित सहायक, माननीय प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. निजी सहायक, निदेशक (वित्त/तकनीकी), अविविनिलि, अजमेर।

मुख्य लेखाधिकारी (लेखा एवम् राजस्व)

Scanned by CamScanner

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Statement showing the Daily recovery progress of outstanding Above Rs. 10000 against regular consumers

Reporting Day:- ______________ **(Amount in lacs)**

S.No.	Circle/ Sub-Division	Outstanding of Regular consumers at the end of previous day ____		Action taken during the day ____				Balance at the end of reporting day____		Remarks (If any)
				Amount Deposited		Physically disconnected				
		No. of Consumers	Amount	No. of Consumers	Amount	No. of Consumers	Amount	No. of Consumer	Amount	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

Scanned by CamScanner